

सं.नं. 122/09

ता.रज्जु 8.12.2009

पीठासीन अधिकारी - जगदीश आर्य R.A.S.
उनवान

1. रघुवीर प्रीना पुत्र - चौधी प्रीना जाति प्रीना निवासी सनेट
हालवासी ग्राम राजौली तहसील रोडाभीम जिला करौली
(वादी)

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1. जल्ला प्रीना पुत्र चौधी प्रीना | } पि. जल्ला प्रीना | समस्त जाति प्रीना निवासी राजौली तहसील - रोडाभीम जिला - करौली |
| 2. बच्चू प्रीना | | |
| 3. बबलू प्रीना | | |
| 4. मुलबन्दी पति जल्लाराम प्रीना | | |
| 5. मोसम पति बच्चू प्रीना | | |
| 6. काडी पति बबलू प्रीना | | |

7. तहसीलदार रोडाभीम

(प्रतिवादीगण)



दावा आवत दोषणा खातेदारी तकास्मा, स्पार्ड निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री मदन मोहन शर्मा Adv. (वादी)

निर्णय

दिनांक 10.6.16

पत्रावली राजस्व लोक अदालत - पाय आपके द्वारा कैम्प
कोर्ट कमालपुरा में पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी ने जहिये
वकील दावा आवत दोषणा खातेदारी व तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा
का पेश किया कि ग्राम राजौली की भूमि खं.नं. 266, 267, 268,
269 की पृथकसे जमाबंदी में वादी के नाम की जावे तथा खं.नं.
390, 393, 419, 420, 459, 582, 583, 584, 585, 682, 683/1086, 949, 950
कुलमिला 10 कुल रकबा 1.87 हे० में से हिस्सा 2/3 का बँटवारा
का आसरा खाता कायम किया जावे। प्रतिवादीगण के बाबजूद अल्पना
उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई

(संगाला)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

8

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपरवठे अधिकारी मुकाम टोडाभीम

मालास घोषासीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य एस.डी.

उजवाण

श्री मीना पुत्र चौथी
मीना निकाली सनेर
वासी ग्राम राजौली
मौज - टोडाभीम
करोली

बनाम

1. जल्ला पुत्र चौथी मीना
2. वच्चू (उववलू पिं जल्ला
3. गुलबरी पालि जल्ला राम मीन
4. मोसम पालि वच्चू मीना
5. काडी पालि ववलू मीना
- समस्त जाति मीना राजौली
- तहसील - टोडाभीम करोली
6. तहसीलदार टोडाभीम

मुकदमा नं० 122 सन् 2079

घोषणाखोहदारी, तक्रास्मा.

स्थायी निवेद्याबा
मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबई
मदन मोहन शर्मा नि.व. व हाजिरी
मिनकानिब गुदई खबरु हमारे

मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

स्ताविक रिफाई जमा बन्दी व वं 2079 (कोम बाके का दावा डिक्री
किया जाता है वादी रघुवीर पुत्र चौथी मीना को ग्राम राजौली की
ख.नं० 330 920 549 682 949 950 कुल किता 6240/1
0.22 0.06 0.08 0.24 0.34 0.26 कुल किता 6240/1
20 है जो खोहदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख.नं० 393 919
1911 682/1 950/1 कुल किता 5 बुलरकवा 0.60 है जो घोषासी जल्ला
0.08 0.12 0.12
चौथी को खोहदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख.नं 582
कवा 0.02 चाही तथा 683 रकवा 0.05 है चाही उर्ख के हिस्सा नुसार
पुस्त खोहदारी में रहे। 1086 प्रिवादी गण को स्थायी निवेद्याबा से पाण्ड
या जाता है कि वादी गण को खोहदारी व काश्तकार की भूमि में दखलना
इसे एवं मुजाहमत मुदायलह जही करे। नफशा इस निवेद्या के
से लाने मुबलिंग

बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
का अदा करें।
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 6-16 सन्

को जरी की गई।
मुहर
वजह सबूत
ना वकील
गवाहान
कमिशनर
इजराय हुकमनामा
रिक
मीजान

दस्तखत उपजिला कलक्टर
ओहदा टोडाभीम (करोली)

| मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प अर्जी | | |
| महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिशनर | | |
| बाबत इजराय हुकमनामा | | |
| मुतफरिक | | |
| मीजान | | |

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।